न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 529/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/557)

गंगासहाय पुत्र श्री चंद जाति मीना निवासी गढखेडा तहसील नादौती जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हवलराम
2. हरसहाय

पुत्रान श्रीचन्द जातियान मीना निवासीयान गढखेडा तहसील नादौती जिला करौली।

3. तहसीलदार नादौती जिला करौली।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर करौली दिनांक 10.04.2019 (75 एलआरएक्ट) व तहसीलदार नादौती वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 307 दिनांक 24.01.2019 वाकै ग्राम गढखेडा तहसील नादौती जिला करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री घनश्याम सिंघल वकील अपीलान्ट।
2. श्रीमती शशि बंसल वकील रैस्पोडेन्ट
3. राजकीय अधिवक्ता।
4. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 12.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 307 दिनांक 2.8.2010 खातेदार कमल के फौत हो जाने पर उसकी वेवा लीलावती के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया था। इस नामान्तरकरण को पूर्व में उपखण्डाधिकारी नादौती के समक्ष अपीलान्ट गंगासहाय के द्वारा चुनौती दी गई थी। जिसमें उपखण्डाधिकारी नादौती के द्वारा अपील नं0 1/2017 गंगासहाय बनाम ग्राम पंचायत गढखेडा में निर्णय दिनांक 02.06.2017 पारित करते हुये प्रकरण को तहसीलदार नादौती को रिमाण्ड किया गया था। उपखण्डाधिकारी के रिमाण्ड आदेश दिनांक 02.06.2017 की पालना में तहसीलदार नादौती के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 307 की पुस्त पर दिनांक 24.01.2019 को यह आदेश दिया गया कि ".....आज दिनांक 24.01.2019 को नामान्तरकरण पेश हुआ। न्यायालय उपखण्डाधिकारी नादौती के मुकदमा नम्बर 1/2017 उनवान गंगासहाय बनाम ग्राम पचांयत गढखेडा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के द्वारा नामान्तरकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 24.01.2019 के अनुसार मृतक खातेदार कमल की विरासत मृतक के भाई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गंगासहाय, हवलराम, हरसहाय पिसरान श्रीचंद जाति मीना निवासी गढखेडा के नाम स्वीकार की जाती है। रिकार्ड में अमल किया जावे ....." तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 307 की पुस्त पर पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 के खिलाफ तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर करौली के समक्ष अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अपील पेश की गई। तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर करौली के द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2019 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज कर दी गई । इस आदेश के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। हर दो तहत अदालतों से अपीलाधीन आदेशों से संबधित मूल पत्रावलीयां तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2019 एवं 10.04.19 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय हैं। नामान्तरकरण संख्या 307 ग्राम गढखेडा से संबधित भूमि की खातेदारी शुरू से गज्जा पुत्र अमरया जाति मीना निवासी गढखेडा के नाम खातेदारी में रही है। गज्जा ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात एवं अन्य चल व अचल सम्पत्ति से संबधित एक वसीयत दिनांक 20.07.1990 को अपीलान्ट के भाई कमल एवं अपीलान्ट के हक में तहरीर तकमील कराकर उपपंजीयक नादौती के यहां पंजीयन करायी थी और गज्जा के मरने के उपरान्त उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं भाई कमल के नाम तस्दीक हुआ था और तभी से उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट एवं उसका भाई कमल काबिज चला आ रहा है। कमल का स्वर्गवास दिनांक 27.09.2002 को होने पर कमल की पत्नी लीलावती कमल की मृत्यु हो जाने के बाद अपने पीहर चली गई और पीहर जाने के पश्चात ग्राम मीनाबाडा तहसील सिकराय जिला दौसा राज0 के निवासी रामजीलाल मीना के नाते चली गई और तभी से उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट तन्हा रूप से दिनांक 27.09.2002 से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी से सन् 1990 से लेकर आज दिवस तक कोई संबध व सरोकार एवं कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा है। रैस्पो0 संख्या 3 ने उपखण्डाधिकारी नादौती के आदेश दिनांक 02.06.17 के निर्देशानुसार मृतक कमल के वारिसान की जांच नहीं कर मनमाने तरीके से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से साज करके नामान्तरकरण संख्या 307 दिनांक 24.01.2019 को विधि विरूद्ध आदेश पारित कर तस्दीक किया गया है, जबकि मृतक गज्जा ने दिनांक 20.07.1990 को वसीयतनामा अपीलान्ट के व कमल के हक में पंजीयन कराया था, जो कि आज दिनांक तक अन्तिम है। उक्त वसीयत को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यानि उक्त वसीयत को रद्द कराने का कोई

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.2.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दावा नहीं किया गया है। रैस्पोडेन्ट का मृतक गज्जा की आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं है और ना ही कब्जा है। तथाकथित नामान्तरकरण व आदेश तहसीलदार नादौती दिनांक 24.01.2019 विधिविरूद्ध है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीचंद पुत्र अमरया जो अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 का पिता है, जो जीवित है एवं कमल की पत्नी लीलावती जो जीवित है को कोई नोटिस सुनवाई बाबत नहीं दिया है एवं श्रीचंद व लीलावती के कोई बयान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नादौती द्वारा रिकार्ड नहीं किये गये एवं अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिवत प्रकरण में साक्ष्य रिकार्ड नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी नादौती के आदेश दिनांक 02.06.2017 की विधिवत पालना नही की गई है। रैस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 निर्णय दिनांक 24.01.2019 व 10.04.2019 की आड में विवादित आराजीयात को रहन वय करने पर तुले हुये हैं। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2019 में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 618 पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि अदालत मातहत को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था तो अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटा दे, परन्तु उक्त प्रकरण में अपील को लौटाने की बजाय क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है, जो कि उपरोक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इसी तरह का सिद्धान्त 1998 आर.बी.जे पेज 188–189 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। जिसके अनुसार यदि अपील गलत न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तो ऐसी अपील को संबंधित न्यायालय को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पक्षकार को लौटा देना चाहिए, परन्तु उक्त प्रकरण में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की अपील को नहीं लौटाकर क्षेत्राधिकार के आधार पर अपील निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा खारिज की है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नौदाती की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 24.01.2019 को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि अमरया के दो पुत्र श्रीचंद व गज्जा थे। गज्जा की कोई शादी नहीं हुई थी और वह लावल्द बिला औरत था। इस कारण उसने अपने हिस्से की आराजी 1/2 अपीलान्ट गंगासहाय व कमल के नाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.2.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.07.1990 को अपने जीवनकाल में कर दी थी। श्री गज्जा के देहान्त के बाद विवादित आराजी गज्जा के अपीलानट व कमल बहिस्सा बराबर खातेदार हुए। कमल का देहान्त होने पर उसकी विधवा लीलावती ने रिवाज के अनुसार रामजीलाल निवासी मीनाबाड़ा तहसील सिकराय जिला दौसा से शादी कर ली। इस कारण श्री कमल की आराजी के उत्तराधिकारी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होने के कारण अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ही आराजी को अपने नाम विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करा पाने के अधिकारी थे, परन्तु तहसीलदार नादौती ने दिनांक 02.08.2010 को दाखिल खारिज संख्या 307 उसकी विधवा लीलावती के नाम दर्ज कर दिया। जिस पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील दाखिल खारिज संख्या 307 दिनांक 02.08.2010 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नादौती के यहां अपील पेश की। उक्त अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया गया व तहसीलदार नादौती को श्री कमल के वारिसान की जॉच कर दाखिल खारिज दर्ज करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार नादौती ने श्री कमल के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने के कारण अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उसके खास भाई होने व द्वितीय श्रेणी के वारिस होने के कारण आराजी में श्री कमल के हिस्से का बहिस्सा बराबर तीनों के नाम दाखिल खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 24.01.2019 को दिए गए। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में अपील पेश की गई। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर ने द्वितीय अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट का यह तर्क कि गज्जा के उसके एवं कमल के हक में वसीयत करने के कारण श्री कमल के देहान्त के बाद वही अकेला कमल की खातेदारी का दाखिल खारिज कराने का अधिकारी है, गलत है क्योंकि आराजी श्री गज्जा की वसीयत से उसके नाम दर्ज हो गई थी और कमल के वारिसान के हक में विरासत का दाखिल खारिज आराजी का दर्ज होगा जो तहसीलदार नादौती के अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्से का दर्ज हुआ है। इसके अलावा कमल की पत्नि ने जो दाखिल खारिज के बाद आराजी को श्री मनोहरी को विक्रय कर दिया था। उसके संबंध में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने अधिकार बताते हुए दावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 हिण्डौन सिटी में वयनामा को नल व वोइड कराने का दायर किया था, जो राजीनामे के आधार पर डिक्री हुआ है। इसमें भी अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने अधिकार बताते हुए दायर किया था। इस कारण अब अपीलान्ट न्यारानूर आराजी का अधिकारी बताने से एसटॉपड है। तहसीलदार नादौती ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विवादित आराजी से श्री कमल के हिस्से के अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 विरासत का दाखिल खारिज करके उसके वारिस होने की हैसियत से दर्ज करा पाने के अधिकारी होने के कारण दाखिल

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.2.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खारिज किया है। जिसमें कोई भी कानूनी त्रुटि नहीं है। उक्त निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया गया है। इसके अलावा भी नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसमें किसी भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज की जावे तथा तहसीलदार नादौती द्वारा दर्ज किये गये दाखिल खारिज दिनांक 24.01.2019 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार नादौती की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 24.01.2019 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2019 को पारित किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि नामान्तकरण संख्या 307 कमल फौत हो जाने पर उसकी बेवा लीलावती हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज किया गया था। इस नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी नादौती के न्यायालय में पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.01.2019 से यह नामान्तकरण अपास्त करते हुए तहसीलदार नादौती को रिमाण्ड कर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने के आदेश दिए थे। जिसमें तहसीलदार ने सुनवाई करते हुए मृतक की 1/2 भूमि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की। इसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस यह कथन किये जाने का उल्लेख किया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि अपीलान्ट की मृतक का एकमात्र वारिस है। इसके बारे में यह अभिमत दिया गया कि अमरया के दो पुत्र क्रमशं गज्जा व श्रीचंद हैं। जिसमें गज्जा के कोई औलाद नहीं होने पर 1990 में श्रीचंद पुत्र अमरया व गंगासहाय के हक में वसीयत कर दी थी। गज्जा फौत हो जाने पर मुताबिक वसीयत के विवादित आराजी कमल व गंगासहाय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। कमल फौत होने पर उसके हिस्से की 1/2 भूमि उसकी बेवा लीलावती के नाम दर्ज होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी के यहां पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2019 के अनुसार नामान्तकरण अपास्त कर दिया। जिससे तहसीलदार द्वारा विवादित होने पर धारा 135(2) के तहत निस्तारित किया गया है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह कथन की विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही अपील को खारिज किया है, मानने योग्य नहीं है। अतः वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 1997 आर.बी.जे. 618 व 1998 आर.बी.जे. 188 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उपरोक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते हैं। जहां तक तहसीलदार नादौती की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2019 के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस संबंध में तहसीलदार नादौती ने अपीलाधीन निर्णय में

प्रकरण के समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का हवाला देते हुए यह अभिमत दिया है कि मृतक कमल के विधिक वारिसान उसके सगे भाई गंगासहाय, हबलराम, हरसहाय पिसरान श्रीचंद जाति मीना निवासी गढखेडा का होना पाया जाता है। अतः विरासत का नामान्तकरण संख्या 307 कमल के स्थान पर सगे भाई गंगासहाय, हवलराम, हरसहाय पिसरान श्रीचंद जाति मीना निवासी गढखेड़ा के नाम स्वीकार किये जाने का आदेश देते हुए अमल दरामद का आदेश दिया है। उक्त निर्णय में भी किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन व परीक्षण करने के बाद पारित किया गया है। इसके अलावा भी नामान्तकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमें किसी भी पक्ष के हक–हकूक तय नहीं हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार नादौती द्वारा उपखण्ड अधिकारी नादौती की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2019 व तहसीलदार नादौती की ओर से पारित निर्णय दिनांक 24.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर